न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 115/2015
आरसीएमएस नं0 2015/00205
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955

बशीर पुत्र अजीज पुत्र कासम जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. हारून पुत्र जुसफदीन जाति मुसलमान कुम्हार साकिन वार्ड नं. 1 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
2. रिशल पुत्र हासम जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।
3. आमीन पुत्र हासम जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।
4. इकबाल पुत्र. नेक मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।
5. बगली पुत्री नेक मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।
6. ळनीमा पत्नी नेक मोहम्मद पुत्र हासम जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।
7. क्मो बेवा हासम जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.07.2015

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा,

प्रकरण संख्या 72/2015 बअनवानी बशीर बनाम हारून आदि

श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

निर्णय दिनांकः- 21.07.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें चक 19 ए.एम.एस., 5 एस.डी.आर., व चक 8 सी.डी.आर. तीन चकों की कुल 10.373 है0 भूमि प्रार्थी के दादा कासम व हासत की थी जिन्होंने काफी असा पूर्व ही विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया था एवं मुताबिक बाहमी बंटवारा ही काश्त होती आ रही है। नेक मोहम्द पुत्र हासम ने चक 19 ए. एम.एस. की भूमि प्रतिवादी नं. 1 को बैय कर दी है जो जबरदस्ती चक नं. 19 ए. एम.एस. की भूमि पर काबिज होना चाहता है। इसके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री क जावे एवं मुताबिक बंटवारा खाता व लगान तकसीम किया जावे एवं दावा के साथ एक प्रार्थना–पत्र दफा 212 आरटीएकट पेश किया जिसमें यह अनुतोष मांगा कि दावा के निर्णय तक विवादित भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना–पत्र की मदों को इनकार करते हुए जवाब पेश किया कि भूमि आज भी संयुक्त है इसलिए प्रत्येक खातेदार का खाता पर अधिकार है। ना तो गैर सालान विवादित भूमि को रहन बैय करना चाहते है एवं ना ही गैरसायलान के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है प्रार्थना–पत्र लालचवश पेश किया है जो खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भली भांति साबित होता है कि सायल (कासम के वारीसान) एवं गैरसायलान (हासम के वारिसान) विवादित भूमि को मुताबिक बंटवारा लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है। इतने पुराने कब्जा काश्त को नजरअंदाज कर मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध निर्णय परित किया है। लगातार कब्जा काश्त के बावजूद गेरसायलान क मिथ्या कथनों पर आधारित जवाब प्रार्थना–पत्र पर विश्वास कर बिना पत्रावली का अवलोकन किये जल्दबाजी में निर्णय किया है जो चलने योग्य नहीं है। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे विवादित भूमि पर मुताबिक रिकार्ड कब्जा साबित हो इसके बावजूदभी मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध निर्णय किया है इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं निर्णय दिनांक 24.07.2015 निरस्त किया जावे एवं 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि हासम व कासम के बीच में कभी भी बंटवारा नहीं हुआ लेकिन अपने अपने हिस्से अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि काश्त करते व लगान अदा करते थे। ना तो कभी घर बैठकर बंटवारा हुआ ना ही कभी जोत का विभजान हुआ। कासम के वारिसान सदीक, हकीमन ने चक 19 एएमएस में अपना सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया तथा खरीददार काश्तकारों ने अपना कब्जा प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार हासम के वारिस नेक मोहम्मद ने अपना हिस्सा का बेचान कर दिया जिस पर क्रेता हारूण ने खरीद की दिनांक को कब्जा प्राप्त कर काश्त करनी शुरू कर दी है। हामस व कासम के वारिसान व क्रेता खातेदार अपने अपने हक हिस्सा अनुसार काश्त करते हैं। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट सं0 1 को अजनबी व्यक्ति बताकर उसके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। अपीलाण्ट स्वच्छ हाथों से नही आया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. प्रश्नगत तीन चकों की कुल 10.373 है0 भूमि कासम एवं हासम की थी। जिसका खाता विभाजन एवं अधिकारों की घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विचाराधीन है। हासम एवं कासम के वारिसान ने प्रश्गनत भूमि में से अपनी भूमि को बेचान करने का तथ्य सामने आया है। उभयपक्ष के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अच्छी भूमि पर अपने आदमीयों को काबिज नहीं कराने के लिए पाबंद किया है मगर उभयपक्ष को भूमि को रहन बैय करने का अधिकार दिया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

21/7/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़